कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 184 / स्था.वि. / न.पा.नि. / 2021 रायगढ़ दिनांक 07/06/2021

/ /आदेश/ /

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./स्था./एक/57/105/19/1434 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26.02.2020 में संलग्न अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश 2013 एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./स्था./एक/वी/2013/2021/551 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.05.2021 एवं छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का आदेश क्र. एफ4–14/2016/18 (10) नया रायपुर दिनांक 12.09.2016 के सेटअप अनुसार तथा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.03.2021 में दिये गये निर्देशों में उल्लेखित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तथा नियत स्टायपेण्ड पर श्री प्रदीप तिवारी पिता स्व. श्री सूर्यमणी तिवारी को समयपाल के पद पर (6वां वेतनमान के आधार पर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900, एवं 7वां वेतनमान लेबल 4/1) अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तो के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

अनुकम्पा नियुक्त समयपाल को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

प्रथम वर्ष	–	समयपाल पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	–	समयपाल पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	–	समयपाल पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ–साथ समय पर संशोधित अनुसार प्रचलित भत्ते प्राप्त होंगे।

<u>नियुक्ति की शर्ते</u> :–

1. भविष्य में माननीय न्यायालयों एवं छ.ग. शासन के वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्रसारित आदेश–निर्देश की प्रभावशीलता इस कार्यालय से प्रसारित आदेश के ऊपर रहेगी।
2. दो नग सेवा पुस्तिका एवं अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी छायाप्रति की दो–दो प्रति राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर साथ लेकर आयेंगे, मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के पश्चात ही उपस्थिति मान्य की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत तत्काल वापस कर दिये जायेंगे।
3. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा रहा है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही सेवा में नियमित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा असंतोषजनक पाये जाने पर कारण बताये बिना सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. सेवा में आने के पश्चात सेवा छोड़ने की स्थिति में संबंधित को एक माह पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा अग्रिम में एक माह का वेतन और उस पर देय सभी भत्ते कार्यालय में जमा करना होगा।
5. सेवा की अन्य शर्ते संबंधित नियम तथा समय–समय पर लागू हुए छ.ग. शासन के आदेशों के अनुसार नियंत्रित होंगे।
6. अग्रिम शिक्षा अथवा किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. अन्यत्र नौकरी का आवेदन प्रस्तुत करने के लिये कार्यालय प्रमुख की अनुमति आवश्यक होगी।
8. जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि वे नौकरी हेतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

c:\users\user\desktop\anukampa keanukampa.docx

Scanned with CamScanner

9. चरित्रावली के संबध मे संबंधित पुलिस अधीक्षक का संतोषप्रद प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही सेवायें जारी रहेगी। अन्यथा विपरीत संस्तुति प्राप्त होने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
10. नियुक्ति आदेश के जारी होने के दिनांक से 01 माह के भीतर नगर पालिक निगम, रायगढ़ में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
11. किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र के असत्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख को होगा।
12. नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

07.06.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक. 184 / स्था.वि. / न.पा.नि. / 2021, रायगढ़, दिनांक 07/06/2021,

प्रतिलिपिः–

1. महापौर / सभापति / नेताप्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास नवा, रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
3. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. पुलीस अधीक्षक, रायगढ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9. समस्त सहायक अभियंता / उप अभियंता.., नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
12. निष्ठा नोड़ल अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
14. समस्त विभागीय लिपिक.. नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
15. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के वेब साईट में अपलोड़ किये जाने हेतु।
16. श्री प्रदीप तिवारी पिता स्व श्री सूर्यमणी तिवारी, पता–सिविल लाईन सेवाकुंज मार्ग, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

07.06.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner